APP-A
Crim-1

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट दांतडा

मांगू पिता हांसा
निवासी– दांतडा

बनाम

बालु पिता रकबा
निवासी– दांतडा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88, 188, 92ए. रा.टी.ए. प्रकरण संख्या– 02 / 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट दांतडा पर पेश हुई । वादी मांगू उपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 1 बालु अनुपस्थित। विधिवत् आवाजें लगवाई गई। प्रतिवादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। वादी मांगू ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि मेरे पिताजी से विरासत से प्राप्त हुई, जिससे में सन्तुष्ट हुँ । किन्तु प्रतिवादी संख्या– 1 बालु जाट मेरी उक्त खातेदारी आराजीयात में दखलन्दाजी करता है। अन्त में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या–1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें, इसके अतिरिक्त मुझे कोई अनुतोष नही चाहिये। मैनें उपस्थित वादी को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 मौजा दांतडा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 2174 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात के साथ मांगू पिता हांसा जाट साकिन देह के खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। वादी ने आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह जाहिर किया है कि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज भूमि से वह सन्तुष्ट है। चुँकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या– 1 बालु का प्रथम दृष्टिया कोई हित स्वतः अधिकार होना प्रकट नही हुआ है। यदि प्रतिवादी को पाबन्द नही किया गया तो आये दिन वादी की हक हिस्से की आराजीयात में दखलन्दाजी करता रहेगा जिससे वादी अपने हक हिस्से की आराजीयात से महरुम रहकर उसे अपूर्णीय क्षति का सामना करना पडेगा तथा इससे अनावश्यंक मुकदमें बाजी को भी बढावा मिलेगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपु[रा] जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

दावा वादी स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझता है।

"निर्णय"

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या-1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मौजा बांतडा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर- 716, 719,720, 755, 1879/2443, 2112, 2174 किता 7 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा में वादी के हक हिस्से की उक्त भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षेप करने कराने से रूके रहें। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को खुली लोक अदालत कैम्प कोर्ट पंखलिया पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुलाबपुरा
जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner